

# गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक..199/स्था./प्रशा./2004

बिलासपुर, दिनांक..07.08.2004

## आदेश

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2002 की धारा 49 के प्रावधानानुसार गठित चयन समिति की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की आपातिक बैठक दिनांक 06.08.2004, विषय क्रमांक-04 के निर्णयानुसार श्री संजय कुमार लांझियाना (अनु.जाति)की नियुक्ति निम्न शर्तों पर विश्वविद्यालय की स्ववित्तीय योजनांतर्गत संचालित भैषजिक विभाग में व्याख्याता, भैषजिक के पद पर वेतनमान रुपये 8000-275-13500/- में दो वर्ष की परिवीक्षा पर (जो विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत बने परिनियम के अनुसार आगे बढ़ाई जा सकती है) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जाती है !

कार्यभार ग्रहण की अवधि के लिये वेतन/यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जावेगा । वेतनमान के साथ समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते एवं लाभ देय होंगे ।

यदि परिवीक्षावधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया अथवा विश्वविद्यालय को उनकी सेवाओं की आवश्यकता न हो तो एक माह की पूर्व सूचना या एक माह का वेतन देकर सेवा से पृथक किया जा सकता है ।

इनकी सेवायें चालचलन संबंधी जाँच उपयुक्त एवं अच्छा पाये जाने पर ही वैध होगी ।

दिनांक 23.08.2004 तक पद का कार्यभार ग्रहण किया जाना चाहिये, अन्यथा नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी । सेवा शर्तें विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत परिनियम 31 एवं अध्यादेश-4 के अंतर्गत संचालित होगी ।

विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय लिखित रूप से सूचित करना होगा कि उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं ।

उपर्युक्त शर्तों में किसी प्रकार की कोई शिथिलता प्रदान नहीं की जावेगी । वेतन एवं अन्य शर्तें उपर्युक्तानुसार होंगी, अन्य शर्तें मान्य नहीं होंगी ।

नियुक्ति पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय योजनांतर्गत संचालित भैषजिक विभाग के स्थापना मद में विकलनीय होगा ।

कार्यपरिषद के आदेशानुसार

कुलसचिव

बिलासपुर, दिनांक...07.08.2004

पृ.क्रमांक...199-अ/स्था./प्रशा./2004

प्रतिलिपि :-

01. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
02. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक को कुलपति जी/कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ ।
03. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली ।
04. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.) ।
05. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.) ।
06. आयुक्त, उच्च शिक्षा, महाविद्यालयीन शिक्षा एवं पेंशन प्रकोष्ठ, विज्ञान महाविद्यालय परिसर, छ.ग.शासन, रायपुर (छ.ग.) ।
07. विभागाध्यक्ष, भैषजिक विभाग,, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ ।
08. वित्ताधिकारी/ सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
09. श्री संजय कुमार लांझियाना को इस निर्देश के साथ कि वे दिनांक 23.08.2004 तक आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करें । कार्यभार ग्रहण करते समय नियमानुसार स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण पत्र, आयु, पात्रता तथा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की समस्त परिलिधियों की सत्यापित प्रतियाँ भी कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
10. निजी सूचना ।

उप/सहा.कुलसचिव (प्रशा./स्था.)